

**झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

राँची

दिनांक :- 30-12-11

अधि० सं०-1/स्था.(प्रो.)-10-08/2011-6227/ दिनांक 26.12.11 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नलिखित सहायक अभियंता (असैनिक) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अशोक कुमार सिंह 2225/05.12.52/रोहतास	सहायक अभियंता नहर एवं नहर संरचना रूपांकण अंचल, राँची	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची	
2	श्री विन्धेश्वर प्रसाद सिंह 2269/09.07.53/रोहतास	सहायक अभियंता गालूडीह दौया नहर प्रमंडल सं.-1 मुसाबनी शि०-गालूडीह	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट	
3	श्री मदन कुमार सिंह 2292/05.12.52/पू.चम्पारण	सहायक अभियंता खरकई बाँध अवर प्रमंडल सं.-6, कूजू चाईबासा (खरकई बाँध प्रमंडल सं०-2 ईचा चालियामा)	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा	
4	श्री राम कुमार प्रसाद 2297/20.03.57/औरंगाबाद	सहायक अभियंता समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं.-1, राँची	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) जलपथ प्रमंडल, सिमडेगा	
5	श्री विजय कुमार शर्मा 2313/02.10.52/पू.चम्पारण	सहायक अभियंता सिंचाई अवर प्रमंडल घाटशिला शिविर-गालूडीह (सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह)	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	
6	श्री सुरेन्द्र प्रसाद 2317/20.01.54/पटना	सहायक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) सिंचाई प्रमंडल सं०-2 जामताड़ा	ग्रा.वि.वि. से सेवा वापस लेते हुए।
7	श्री गिरिधारी पंडित 2320/13.12.52/भागलपुर	सहायक अभियंता रूपांकण प्रमंडल सं०-2 आदित्यपुर	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चाँडिल	
8	श्री ब्रह्मा राय 2323/12.10.54/रोहतास	सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमंडल डुमरी (लघु सिंचाई प्रमंडल, डुमरी)	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू	

1	2	3	4	5
9	श्री विनय कुमार ठाकुर 2328 / 05.06.52 / समस्तीपुर	सहायक अभियंता जलपथ अवर प्रमंडल सं.-2 चक्रधरपुर शिविर- चाईबासा	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	
10	श्री राजेश शरण 2329 / 16.07.53 / राँची	सहायक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं०-2, राँची	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं.-1, राँची	
11	श्री सुधीर प्रसाद सिंह 2331 / 24.08.54 / मुँगेर	सहायक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा	ग्रा.वि.वि. से सेवा वापस लेते हुए।
12	श्री रामेश्वर साहा 2333 / 19.01.52 / पूर्णिया	सहायक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) के रूप में ग्रामीण विकास विभाग को	ग्रा.वि.वि. में यथावत् रहेगें।
13	श्री मोती लाल महतो 2339 / 18.05.54 / राँची	सहायक अभियंता योजना आयोजन अंचल, राँची	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) जलपथ प्रमंडल, गुमला	
14	श्री अखिलेश कुमार मिश्र 2344 / 01.02.56 / औरंगाबाद	सहायक अभियंता जलपथ अवर प्रमंडल सं.-2, गोला शिविर- हजारीबाग (जलपथ प्रमंडल हजारीबाग)	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं.-7, जल संसाधन राँची	
15	श्री सुबोध कुमार सिन्हा 2350 / 04.05.55 / नवादा	प्राक्कलन पदाधिकारी मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन, देवघर	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) रूपांकण प्रमंडल सं.-2, देवघर	
16	श्री देव आशीष 2354 / 08.11.56 / मुँगेर	सहायक अभियंता जलपथ प्रमंडल सं०-1 सरायकेला शि.-चक्रधरपुर (जलपथ प्रमंडल सं०-2 चक्रधरपुर शि.-चाईबासा)	कार्यपालक अभियंता (चा.प्र.) सिंचाई प्रमंडल सं०-1, बरहेट	

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- कार्यपालक अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा उन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।
- उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्रि प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें सहायक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
- भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें सहायक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
- कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।





7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

*Sheef*  
30.12.11  
( दिनेश उपाध्याय )

सरकार के उप सचिव(प्र०)

ज्ञापांक- 6227

राँची, दिनांक- 30.12.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी.सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

*Sheef*  
30.12.11  
( दिनेश उपाध्याय )

सरकार के उप सचिव(प्र०)

ज्ञापांक- 6227

राँची, दिनांक- 30.12.11

प्रतिलिपि-महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के भीतर विरमित नहीं होने पर संबंधित अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारियों का माह जनवरी 2012 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

*Sheef*  
30.12.11  
( दिनेश उपाध्याय )

सरकार के उप सचिव(प्र०)